संख्या-140/2019/2274/22-2-2019-17(986)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर, 2019***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहर सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी जनपद-इटावा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24539/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-02-07-2019) दिनांक-08-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 08-08-2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मोहर सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश, जो ग्राम-नसीरपुर बौजा, थाना-वकेवर, जिला-इटावा का रहने वाला है। बंदी ने मौहर सिंह पुत्र श्री हरिश्चन्द्र के कारखाने में हुई चोरी में पकड़े जाने पर बदला लेने की धमकी दी थी। इसी रंजिश में दिनांक 08.05.2002 को 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मौहर सिंह पुत्र श्री हरिश्चन्द्र की पुत्री कृष्णा के 04 वर्षीय पुत्र काकू की हत्या कर शव नाले में डाल दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-763/2004 भा0द0सं0 की धारा-302, 364, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-04, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 21.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के के आदेश दिनांक 08.11.2005 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.05.2019 तक 16 वर्ष 06 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 07 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने मौहर सिंह के कारखाने में हुई चोरी में पकड़े जाने पर बदला लेने की धमकी दी थी। इसी रंजिश में दिनांक 08.05.2002 को 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मौहर सिंह की पुत्री कृष्णा के 04 वर्षीय पुत्र काकू की हत्या कर शव नाले में डाल देने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोहर सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मोहर सिंह (बन्दी संख्या-9283) पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी जनपद-इटावा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-140/2019/2274(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद इटावा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-140/2019/2274/22-2-2019-17(986)/2019

दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहर सिंह (बन्दी संख्या-9283) पुत्र श्री ओमप्रकाश, जो ग्राम-नसीरपुर बौजा, थाना-वकेवर, जिला-इटावा का रहने वाला है। बंदी ने मौहर सिंह पुत्र श्री हरिश्चन्द्र के कारखाने में हुई चोरी में पकड़े जाने पर बदला लेने की धमकी दी थी। इसी रंजिश में दिनांक 08.05.2002 को 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मौहर सिंह पुत्र श्री हरिश्चन्द्र की पुत्री कृष्णा के 04 वर्षीय पुत्र काकू की हत्या कर शव नाले में डाल दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-763/2004 भा0द0सं0 की धारा-302, 364, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-04, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 21.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के के आदेश दिनांक 08.11.2005 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.05.2019 तक 16 वर्ष 06 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 07 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने मौहर सिंह के कारखाने में हुई चोरी में पकड़े जाने पर बदला लेने की धमकी दी थी। इसी रंजिश में दिनांक 08.05.2002 को 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मौहर सिंह की पुत्री कृष्णा के 04 वर्षीय पुत्र काकू की हत्या कर शव नाले में डाल देने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोहर सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।